DHE/6/0063/2025-Affil-DHE

I/276894/2025

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004
E-mail:- affil-he@mp.gov.in

क्रमांक 396 / 102 / आउिश/संबद्धता/2025 दिनांक 28/05/2025

प्रति,

समस्त कुलसचिव,
शासकीय विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में संचालित विधि महाविद्यालयों का संचालन एवं संबद्धता बार काउंसिल ऑफ इंण्डिया के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन के अनुरूप किये जाने बावत्।

संदर्भ:- 1. बी.सी.आई. नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 258/2025,(LE circular No. 15/2025) दिनांक 20.03.2025 एवं बी.सी.आई. के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन -2008/[भाग-9/(16)]।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि बी.सी.आई. नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी किये गए निर्देशों के संबंध में कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा अनेक ऐसे महाविद्यालय जहाँ एल.एल.बी. तीन वर्षीय एवं बी.ए. एल.एल.बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम एक संकाय के रूप में संचालित हैं, को सत्र 2025-26 की संबद्धता जारी कर दी गई है जो कि बी.सी.आई. के रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन-2008 के भाग-3 की कंडिका 16(ii,iv) के अनुरूप संचालित नहीं है।

समस्त शासकीय विश्वविद्यालय के कुलसचिवों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त महाविद्यालय की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिवस के अंदर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, जहाँ एल.एल.बी. तीन वर्षीय एवं बी.ए. एल.एल.बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम एक संकाय के रूप में संचालित हैं।

Digitally signed by
Nishant Warwade
Date: 27-05-2025
16:35:52

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक 397 / 102 / आउिश/संबद्धता/2025 दिनांक 28/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2025/577 दिनांक 31.05.2025

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य
समस्त शासकीय एव अशासकीय विधि महाविद्यालय
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

उपरोक्तानुसार जानकारी आज ही अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर भेजना सुनिश्चित करें। समयसीमा में जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।

(प्रो. शांतिदेव सिसोदिया)
निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।